न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं0 613/2018

प्रार्थी—
1. पनाराम पुत्र श्री हीराजी उम्र बालिग, जाति मेणा, निवासी गांव डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी—
1. भीमाराम पुत्र श्री हीराजी उम्र बालिग जाति मेणा, निवासी गांव डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
2. नीम्बाराम पुत्र श्री हीराजी, उम्र बालिग, जाति मेणा, निवासी गांव डेण्डा, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,, पाली तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः—
1. श्री विरमाराम मीणा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री केशरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)

आवेदन अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः— 06/12/2019

—:आदेशः—

1. प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 821 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मौजा ग्राम डेण्डा, तहसील पाली में स्थित है जिस कृषि भुमि का खातेदार टिनेण्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 01 व 02 थे, रहे एवं आज भी है एवं उक्त सामलाती कृषि भुमि पर अर्से दराज से एकमात्र कब्जा काश्त प्रार्थी का एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का सामलाती में था, रहा एवं आज भी मौके पर काबिज रहा काश्त करते हैं। जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की नकल प्रमाणित साथ पेश है।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 821 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा मौजा डेण्डा की आराजी का खातेदार टिनेण्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पिता हीरा वल्द आदा, कौम मेणा थे एवं रहे जिस बाबत् जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 की नकल प्रमाणित साथ पेश है। तत्पश्चात् उक्त आराजी का खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पिता हीरा वल्द आदा फौत हो जाने के पश्चात् उक्त मृतक हीरा का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1356 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का राजस्व रेकर्ड में अंकन करते वक्त राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 की जमाबन्दी में प्रार्थी पनाराम पुत्र हीरा, जाति मेणा एवं अप्रार्थी संख्या 01 भीमाराम पुत्र हीरा व अप्रार्थी संख्या 02 नीम्बाराम पुत्र हीरा सही अंकन किया गया है जिस साथ पेश जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 की नकल प्रमाणित एवं म्युटेशन

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

संख्या 1356 की नकल प्रमाणित से स्पष्ट रोशन एवं साबित है परन्तु उक्त जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 के बाद भी जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थी पनाराम नाम के स्थान पर वनाराम लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकित कर दिया जो त्रुटि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 एवं म्युटेशन संख्या 1356 से प्रार्थी पनाराम पुत्र हीरा होना स्पष्ट रोशन है। जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम पनाराम की बजाय वनाराम खिलाफ कानून गलत अंकित किया गया है जो मात्र लिपिकीय त्रुटि से गलत राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है जो काबिज दुरूस्ती के प्रार्थी का नाम पनाराम वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के कॉलम संख्या 04 मे वनाराम की जगह पनाराम अंकित किया जाना लाजमी है जो लिपिकीय त्रुटि फरिकेन मुकदमा के बीच मन्जूरशुदा हैं।

जमाबन्दी संवत् 2056 से 2064 की नकलें प्रमाणित एवं भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र एवं राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की है। प्रार्थी का नाम पनाराम की बजाय गलती से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 एवं तत्पश्चात् की जमाबन्दी में वनाराम अंकन निस्बत् हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त फरमाते हुए जरिये दुरूस्ती के प्रार्थी का नाम वर्तमान में रेकर्ड जमाबन्दी में वनाराम के स्थान पर पनाराम अंकित किये जाने बाबत् आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बावजुद नोटिस तामील के न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 28.03.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया जाने का आदेश दिया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार, पाली ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 821 रकबा 22.01 बीघा किस्म बारानी अव्वल लगान 11.02 रूपयें वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार भीमाराम वनाराम नीम्बाराम पी. हीरा कौम मेणा साकिन देह खातेदार जमाबन्दी संवत् 2072–2075 के अनुसार रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम डेन्डा के नामान्तकरण संख्या 1356 विरासत से भीमाराम पनाराम नीम्बारा पी. हीरा के नाम दर्ज हुआ जो जमाबन्दी सम्वत् 2048–2051 में भी नामान्तरकरण अनुसार खातेदार दर्ज है। जमाबंदी चौसाला संवत् 2052–2055 में खसरा नम्बर 821 में खातेदार का नाम पनाराम पुत्र हीरा के स्थान पर वनाराम पुत्र हीरा दर्ज हुआ जो यह नाम परिवर्तन बाबत कोई शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त नाम

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

परिवर्तन बिना शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण के हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 821 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल मौजा ग्राम डेण्डा, तहसील पाली में स्थित है जिस कृषि भुमि का खातेदार टिनेण्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 01 व 02 थे, रहे एवं आज भी है एवं उक्त सामलाती कृषि भुमि पर अर्से दराज से एकमात्र कब्जा काश्त प्रार्थी का एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का सामलाती में था, रहा एवं आज भी मौके पर काविज रहा काश्त करते हैं। जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की नकल प्रमाणित साथ पेश है। खसरा नम्बर 821 रकबा 22 बीघा 01 बिस्वा मौजा डेण्डा की आराजी का खातेदार टिनेण्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पिता हीरा वल्द आदा, कौम मेणा थे एवं रहे जिस बाबत् जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 की नकल प्रमाणित साथ पेश की है। तत्पश्चात् उक्त आराजी का खातेदार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पिता हीरा वल्द आदा फौत हो जाने के पश्चात् उक्त मृतक हीरा का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1356 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का राजस्व रेकर्ड में अंकन करते वक्त राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 की जमाबन्दी में प्रार्थी पनाराम पुत्र हीरा, ज़ाति मेणा एवं अप्रार्थी संख्या 01 भीमाराम पुत्र हीरा व अप्रार्थी संख्या 02 नीम्बाराम पुत्र हीरा सही अंकन किया गया है जिस साथ पेश जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 की नकल प्रमाणित एवं म्युटेशन संख्या 1356 की नकल प्रमाणित से स्पष्ट रोशन एवं साबित है परन्तु उक्त जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 के बाद भी जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रार्थी पनाराम नाम के स्थान पर वनाराम लिपिकीय त्रुटि से गलत अंकित कर दिया जो त्रुटि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2048 से 2051 एवं म्युटेशन संख्या 1356 से प्रार्थी पनाराम पुत्र हीरा होना स्पष्ट रोशन है।

जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी का नाम पनाराम की बजाय वनाराम खिलाफ कानून गलत अंकित किया गया है जो मात्र लिपिकीय त्रुटि से गलत राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है जो काबिज दुरूस्ती के प्रार्थी का नाम पनाराम वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 के कॉलम संख्या 04 मे वनाराम की जगह पनाराम अंकित किया जाना लाजमी है जो लिपिकीय त्रुटि फरिकेन मुकदमा के बीच मन्जूरशुदा हैं। जमाबन्दी संवत् 2056 से 2064 की नकलें प्रमाणित एवं भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र एवं राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की है। प्रार्थी का नाम पनाराम की बजाय

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

गलती से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 एवं तत्पश्चात् की जमाबन्दी में वनाराम अंकन निस्बत् हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त फरमाते हुए जरिये दुरूस्ती के प्रार्थी का नाम वर्तमान में रेकर्ड जमाबन्दी में वनाराम के स्थान पर पनाराम अंकित किये जाने बाबत् आदेश फरमावें

7. विद्वान सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डेन्डा के खसरा नम्बर 821 रकबा 22.01 बीघा किस्म बारानी अव्वल जमाबंदी चौसाला संवत् 2052–2055 में खसरा नम्बर 821 में खातेदार का नाम पनाराम पुत्र हीरा के स्थान पर वनाराम पुत्र हीरा दर्ज हुआ जो यह नाम परिवर्तन बाबत कोई शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त नाम परिवर्तन बिना शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण के हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है। यदि दुरूस्ती हो तो कोई आपत्ति नहीं है।

8. बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उस पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 821 रकबा 22.01 बिघा किस्म बारानी अव्वल लगान 11.02 रूपये जमाबंदी चौसाला संवत् 2052–2055 में खातेदार का नाम पनाराम पुत्र हीरा के स्थान पर वनाराम पुत्र हीरा दर्ज हुआ जो यह नाम परिवर्तन बाबत कोई शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ है। उक्त नाम परिवर्तन बिना शुद्धि पत्र या नामान्तरकरण के हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि से दर्ज हुआ है जो गलत दर्ज हुआ है। सरकारी पैराकार का पत्रांक/राजस्व / 19/ 2734 दिनांक 19.08.19 के अनुसार ही अशुद्धि को शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। अतः तहसीलदार पाली पत्रांक/राजस्व/19/2734 दिनांक 19.08.19 इस निर्णय का हिस्सा बनाया जाकर स्वीकार किया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड ग्राम डेण्डा के खसरा नम्बर 821 रकबा 22.01 बीघा किस्म बारानी अव्वल के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, पाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2019.12.26 18:03:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: